रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226350
SG-DL-E-01042021-226350

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/ चैत्र 11, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 04
No. 122]	DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/ CHAITRA 11, 1943	[N. C. T. D. No. 04

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 01 अप्रैल, 2021

फा. सं. 1/140/2012/गु.चु.नि./ 3211.—यद्यपि, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियम 1974 के नियम 3 के अंतर्गत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण दिल्ली सिख गुरुद्वारा निदेशालय के अंतर्गत है;

एवं, यद्यपि यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव हेतु मान्यताप्राप्त दलों द्वारा नामांकित उम्मीदवारों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को उनकी पसंद के चुनाव चिन्हों का आबंटन किया जाये।

एवं, यद्यपि शिरोमणी अकाली दल एवं अन्य बनाम गुरुद्वारा चुनाव के मंत्री का कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य में WP (C) No. 3825/2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 31.03.2021 के द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.03.2021, जिससे कि प्रतिवादियों ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 2021 को अधिसूचित किया है, पर चुनाव चिन्ह “बाल्टी” को लंबित मुकदमे के कारण फ्रीज करने की

सीमा तक रोक लगा दी है एवं आगे यह निर्देश दिया है कि उक्त चुनाव चिन्ह याचिकाकर्ताओं को आगामी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव जोकि 25.04.2021 को होने वाले हैं के लिए याचिकाकर्ता नं. 1 के द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों को आबंटित किया जाये जैसा कि पूर्व में किया जाता था।

अतः दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ.1/62/गु.चु.नि./2008(2)/1695 दिनांक 28.07.2010, द्वारा यथा-संशोधित दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियम 1974 के नियम 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन एवं प्रारम्भ

यह आदेश दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2021 कहा जाएगा।

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. पैरा 2 में संशोधन

पैरा 2 में, तालिका के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा:-

"2 (क) शिरोमणी अकाली दल एवं अन्य बनाम गुरुद्वारा चुनाव के मंत्री का कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य में WP (C) No. 3825/2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आरक्षित चिन्ह "बाल्टी" शिरोमणी अकाली दल द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों को 25.04.2021 को होने वाले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव के लिए आबंटित किया जाता है।

3. पैरा 3 में संशोधन

पैरा 3 के वाक्य "चुनाव चिन्ह 'बाल्टी' को लंबित मुकदमे के कारण फ्रीज कर दिया गया है" को हटाया जाता है।

नरिंदर सिंह, निदेशक, गुरुद्वारा चुनाव

DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS

NOTIFICATION

Delhi, the 1st April, 2021

F.No. 1/140/2012/DGE/ 3211.—Whereas the superintendence, direction and control of elections to the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee is vested in the Directorate of Gurdwara Elections, Govt. of NCT of Delhi, vide Rule 3 of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Election of Members) Rules, 1974;

And, whereas it is necessary to provide for the choice and allotment of symbols to the contesting candidates sponsored by the recognized parties and to the independent candidates for election to the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee in the National Capital Territory of Delhi;

And, whereas the High Court of Delhi in WP (C) No. 3825/2021 in the matter of Shiromani Akali Dal & Anr Vs Office of the Minister of Gurdwara Elections, Govt. of NCT of Delhi & Ors., vide order dated 31.03.2021 has stayed the operation of the Notification dated 30.03.2021 whereby the respondents have notified the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee Election Symbols (Reservation and Allottment) Order, 2021 to the extent the symbol "BUCKET" has been frozen due to pending litigation and further directed that the said symbol, as in the past, should be allotted to the petitioners for the forthcoming elections to the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee to be held on 25.04.2021 to be used by the candidates sponsored by the petitioner no. 1.

Now, therefore in exercise of the powers conferred under Rule 14 of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Election of Members) Rules, 1974 as amended vide Delhi Gazette Notification No. F.1/62/DGE/2008(2)/1695 dated 28/07/2010 and in pursuance of directions of the High Court of Delhi,

the Director, Gurdwara Election of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following order:-

1. Short Title, Application and Commencement :

This order will be called the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee Election Symbols (Reservation and Allotment) (First Amendment) Order, 2021.

It shall come into force from the date of its publication in the Gazette of NCT of Delhi.

2. Amendment of para 2:

In para 2, after the table, the following sub-para shall be inserted, namely:-

"2A. The reserved symbol "BUCKET" is allotted for the candidates set up by Shiromani Akali Dal for the elections to the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee to be held on 25.04.2021, in pursuance of directions contained in order dated 31.03.2021 of the High Court of Delhi in WP (C) No. 3825/2021 in the matter of Shiromani Akali Dal & Anr Vs Office of the Minister of Gurdwara Elections, Govt. of NCT of Delhi & Ors.."

3. Amendment of para 3:

In para 3, the sentence "The symbol 'BUCKET' has been frozen due to pending litigation" shall be deleted.

NARINDER SINGH, Director (Gurdwara Election)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.01 22:47:05 +05'30'